



2026:AHC:8614

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1553 वर्ष 2014

अभय सिंह और 11 अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: अशोक खरे, चंद्र,
सर्वेश कुमार, सीमांत सिंह
सिद्धार्थ खरे

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

संदर्भ में- वापसी आवेदन संख्या 20 वर्ष 2025

- वर्तमान वापसी आवेदन के माध्यम से, रिट याचिकाकर्ता संख्या 2 ने वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की मांग की है।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
- वापसी आवेदन को स्वीकृत की जाती है।
- जहां तक रिट याचिका संख्या 2 का संबंध है, रिट याचिका को वापसी के आधार पर खारिज कर दिया जाता है।

आदेश दिनांक: जनवरी 12, 2026

एन.एस.राठौर

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।